न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1660–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–04–2002 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार कोतमा, जिला–अनूपपुर द्वारा प्रकरण कमांक 18/अ–12/2001–02

.....

मथुरा प्रसाद साहू आ0 रामेश्वर प्रसाद साहू
निवासी–कोतमा, थाना व तहसील एवं पो0आ0 कोतमा
जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ..... आवेदक

विरूद्ध

1– बसंत कुमार तिवारी पिता स्व0 संतराम तिवारी
2– मुस0 तिजियाबाई पत्नी स्व0 संतराम तिवारी
दोनों निवासी– कोतमा, थाना व तहसील एवं पो0आ0 कोतमा
जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
3– मध्यप्रदेश शासन जरिए प0ह0 कोतमा
तहसील कोतमा, जिला–अनूपपुर (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पैनल अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार कोतमा, जिला–अनूपपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–04–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 ने सर्वे कमांक 612/1क एवं 612/1ख के सीमांकन बावत आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। आवेदक द्वारा सीमांकन पर आपत्ति प्रस्तुत की कि उसकी भूमि का भी सीमांक़न किया जाये। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त कर आदेश दिनांक 11–4–2002 के द्वारा सीमांकन की पुष्टि की। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक कमांक 1 के नाम सर्वे कमांक 612/1क रकवा 1.08 एकड़ तथा अनावेदक कमांक 2 के नाम सर्वे कमांक 612/1ख रकबा 1.08 एकड़ भूमि है। अनावेदक कमांक 2 अनावेदक कमांक 1 की मां है। तहसील न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन मात्र अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत किया जिसपर दोनों सर्वे नम्बरों का सीमांकन करने में त्रुटि की है। इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय में आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, परन्तु तहसील न्यायालय ने नक्शा तरमीम एवं सीमांकन एकसाथ करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदक के सीमावर्ती कृषक होने के बावजूद भी उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अतः जानकारी दिनांक से निगरानी समय–सीमा में मान्य की जाये।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–4–02 के विरूद्ध इस न्यायालय में लगभग 13 वर्ष विलम्ब से निगरानी पेश की है। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया तथा आवेदक की आपत्ति पर विचार कर उसका निराकरण करने के उपरांत ही सीमांकन की पुष्टि की है। अतः तहसीलदार का आदेश उचित है।

15 September 2015

5/ आवेदक एवं शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक ने तहसीलदार के आदेश दिनांक 11–4–02 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय 23–6–15 को 13 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत की है। विलम्ब के संबंध में प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन में कोई समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाये हैं। तहसील न्यायालय की सत्यापित प्रति से यह भी प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष दिनांक 11–4–02 को अपत्ति प्रस्तुत की थी तथा तहसीलदार द्वारा आवेदक की आपत्ति का निराकरण किया था, अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता आवेदक को तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी। स्पष्ट है आवेदक द्वारा विलम्ब के संबंध में ऐसे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे 13 वर्ष के विलम्ब को क्षमा किया जा सके। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर